



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन  
इन्दौर - 452 001  
दिनांक :

क्र. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2023/220  
प्रति,

12 JAN 2024

✓ प्राचार्य/संचालक,  
प्रेसिडेंट इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च,  
2, एज्युकेशन एण्ड हेल्थ सेक्टर, स्कीम नं. 54,  
इन्दौर।

विषय:- महाविद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिये प्रदान करने विषयक।


सन्दर्भ: आपका पत्र क्र. PIMR/2023/796 दिनांक 24/03/2023 एवं दिनांक 16/10/2023 महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन के संदर्भ में विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06/04/2023 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11/04/2023 में लिये गये निर्णयानुसार महाविद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2023-24 में निम्नानुसार पाठ्यक्रम की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता जारी है:-

क्र.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	एम.बी.ए. (फुलटाईम)	480
2	एम.बी.ए. (एम.एम.)	120
3	एम.बी.ए. (एफ.ए.)	120
4	एम.बी.ए. (आई.बी.)	60
5	एम.बी.ए. (पी.ए.)	60
6	एम.बी.ए. (ए.पी.आर.)	60
7	बी.बी.ए.	480
8	बी.सी.ए.	120
9	बी.बी.ए. (फॉरेन ट्रेड)	120
10	बी.कॉम. (आनर्स)	180
11	बी.ए. आनर्स (मास कम्यूनिकेशन)	60
12	एम.एम.सी.	60
13	पीएच.डी. शोध केन्द्र (मैनेजमेंट)	—

निर्देश:-

1. महाविद्यालय के आकस्मिक निरीक्षण में यदि पाया जाता है कि यू.जी.सी. मापदण्ड अनुरूप छात्र संख्या अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अन्तर्गत नहीं की गई है तो सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्था का होगा।
2. विश्वविद्यालय परिनियम क्र.27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन [aishe.gov.in](http://aishe.gov.in) के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
4. सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय का सम्पूर्ण परिसर CCTV कैमरों की निगरानी में हो तथा निर्धारित संख्या में मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार,  
  
कुलसचिव

पृ.क्र.शैक्षणिक/सम्बद्धता/2023/220  
प्रतिलिपि:-

दिनांक : 12 JAN 2024

1. उपकुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन) दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रभारी, एम.पी.ऑनलाइन, दे.अ.वि.वि. इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहा.कुलसचिव(शैक्ष.)



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन  
इन्दौर - 492 001

दिनांक 03 NOV 2023

क. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2023/2531  
प्रति,

प्राचार्य/संचालक,

प्रेस्टिज इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च,  
2, एज्युकेशन एण्ड हेल्थ सेक्टर,  
स्कीम नं 54, इन्दौर।

**विषय:**—महाविद्यालय को विभिन्न विधि पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण शैक्षणिक सत्र 2023-24 में प्रदान करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन के संबंध में विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 26/12/2022 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 16/02/2023 में लिए गए निर्णयानुसार महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण प्रदान किया जाता है:—

क्र.	पाठ्यक्रम	सत्र	निर्णय
1	एलएल.बी.(ऑनर्स) (त्रिवर्षीय)	2023-24	60-60 छात्रों के दो सेक्शन (कुल 120) हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।
2	बी.ए.एलएल.बी.(ऑनर्स) (पंचवर्षीय)	2023-24	60-60 छात्रों के दो सेक्शन (कुल 120) हेतु अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।
3	बी.बी.ए.एलएल.बी.(ऑनर्स) (पंचवर्षीय)	2023-24	60-60 छात्रों के दो सेक्शन (कुल 120) हेतु अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।
4	बी.कॉम.ए.एलएल.बी. (ऑनर्स) (पंचवर्षीय)	2023-24	60-60 छात्रों के दो सेक्शन (कुल 120) हेतु अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।
5	एलएल.एम.	2023-24	30 छात्रों के प्रवेश हेतु सशर्त अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।

निर्देश:—

1. महाविद्यालय को सत्र 2023-24 में विधि पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता का नवीनीकरण इस शर्त पर प्रदान किया जाता है कि महाविद्यालय बी.सी.आई., नई दिल्ली से विधि विषयों में ऑनर्स पाठ्यक्रमों का अनुमोदन/अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही सत्र 2023-24 में म.प्र. शासन के नियमानुसार अनुसार विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधी कार्यवाही करेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा परिनियम 27 एवं 28 के पूर्ण पालन एवं अधोसंरचना, ग्रंथालय में पुस्तकों एवं जर्नल की पूर्ति, प्रयोगशालाओं में उपकरणों की आपूर्ति नियामक संस्था के नियमों के अनुरूप एवं कॉलेज कोड-28 में शिक्षकों की नियुक्ति छात्र संख्या के अनुपात में अनुपालन सुनिश्चित किया जावे।
3. बी.सी.आई., नई दिल्ली के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
4. विश्वविद्यालय परिनियम क्रं. 27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावे।
5. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन [aishe.gov.in](http://aishe.gov.in) के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
6. सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय का सम्पूर्ण परिसर CCTV कैमरों की निगरानी में हो तथा निर्धारित संख्या में मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसि के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

*(Signature)*  
कुलसचिव

क. शैक्षणिक/सम्बद्धता/2023/2531  
प्रतिलिपि :-

दिनांक 03 NOV 2023

1. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू, इंस्टिट्यूशनल एरिया, बाल भवन के पीस, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप-कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं अग्रेषित।
3. प्रभारी, एम.पी.ऑनलाईन, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपकुलसचिव(शैक्ष.)